तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31/10/25	पत्रावली पेश हुई / अधिवक्तागण . . न्यायिक कार्य स्थगित रहा / P.O. र मीटिंग / बाहर / अवकाश में पत्रावली वास्ते delivery status दिनांक 6/11/25 को पेश हो।	प्रेमचन्द
6/11/25	पत्रावली पेश हुई / अधिवक्तागण . . न्यायिक कार्य स्थगित रहा / P.O. र मीटिंग / बाहर / अवकाश में पत्रावली वास्ते delivery [illegible] दिनांक 8/12/25 को पेश हो।	
8/12/25	पत्रावली पेश हुई / अधिवक्तागण . . न्यायिक कार्य स्थगित रहा / P.O. र मीटिंग / बाहर / अवकाश में पत्रावली वास्ते [illegible] दिनांक 4/3/26 को पेश हो।	
4/2/26	पत्रावली पेश हुई / अधिवक्तागण . . न्यायिक कार्य स्थगित रहा / P.O. र मीटिंग / बाहर / अवकाश में पत्रावली वास्ते [illegible] दिनांक 27/3/26 को पेश हो।	
27/3/26	पत्रा. पेश। वादी द्वारा धारा 212 R T Act का प्रार्थना पत्र 9/6/23 को पेश किया गया था। वादी द्वारा कथन है कि वाद-ग्रस्त भूमि में जमाबंदी अनुसार दर्ज हिस्से का विभाजन किया जाए। वादी द्वारा यह T.I. प्रार्थना पत्र लगाया कि उक्त अवधि में प्रति. वाद-ग्रस्त ज़मीन का बेचान या हस्तांतरण न करें। वाद ग्रस्त भूमि में प्रार्थी का हिस्सा जमाबंदी में दर्ज है	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहलकार हुक्म में
	प्रति 4, 7, 2, 8 द्वारा जवाब पैरा किया गया जिनमे वादी के मद को अस्वीकार किया परन्तु कोई counter claim पैरा नही किया। प्रति 1 व 5 के विरुद्ध एक-तरफा कार्यवाही पहले ही हो चुकी है। पत्रावली के अवलोकन पर ऐसा कोई तथ्य नही आता कि वादी के हिस्से का प्रतिवादी बेचान या हस्तांतरित करने का विचार रखता है क्योंकि जमाबंदी अनुसार वादी का हिस्सा दर्ज है तो प्रति. वादी की सहमति के बिना वादग्रस्त भूमि का बेचान नही कर सकता। वाद में न तो वादी को अपूर्णीय क्षति है न तो prima facie case जिसमे यह लगे कि वादी की ज़मीन का हस्तांतरण या खुर्द-बुर्द हो सकता है। दो साल से ज़्यादा होने पर भी प्रति. द्वारा कोई ऐसा action नही किया गया जिससे वाद-ग्रस्त भूमि पर irreversible effect पड़े। अत: यह प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 27/3/20 को सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (sd.) उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	

उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज०)